रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 4, 1977/भाद्र 13, 1899

No. 388] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 4, 1977/BHADRA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September 1977

S.O. 660(E).—The President being unable to discharge his functions owing to his absence from India from the 4th day of September, 1977, the Vice-President will, in pursuance of clause (2) of article 65 of the Constitution, discharge the functions of the President from that date until the date on which the President resumes his duties

[No. 1/7/77-States]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1977

का० आ० 660(अ).—क्योंकि राष्ट्रपति 4 सितम्बर, 1977 से भारत में अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, अतः उस तिथि से, जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालें, संविधान के अनुच्छेद 65, खण्ड (2) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

[सं० 1/7/77-स्टेट्स]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977